

3763(E)  
14/5/19

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा-सिवान पथ के कि०मी० 24 से 31 तक में आकस्मिक मरम्मत कार्य वर्ष 1997-98 (एकरारनामा संख्या-37 F<sub>2</sub>/1997-98 के भुगतये Claim, जिस पर मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

### उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-4159 दिनांक-20.12.2018 के माध्यम से प्राप्त संवेदक के Claim की जाँचोपरान्त अनुशंसा हेतु गठित समिति की दिनांक-19.12.2018 को आहुत बैठक की कार्यवाही के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 कार्य/योजना का नाम	: पथ प्रमंडल, छपरा-सिवान पथ के कि०मी० 24 से 31 तक में आकस्मिक मरम्मत कार्य वर्ष 1997-98
2.2 वादी का नाम एवं पता	: श्री अब्दुल गफ्फार, ग्राम+पोस्ट-परसागढ़, थाना-एकमा, जिला-सारण, बिहार-841220
2.3 वाद का प्रसंग	: Reference Case 137/2015
2.4 Award की स्थिति	: माननीय ट्रिब्यूनल के द्वारा दिनांक-30.11.2016 को घोषित की गई Award की राशि निम्न प्रकार है :-
(1.) Award की मूल राशि	: ₹3,94,059.00
(i) कराये गये कार्य की राशि	
(2.) घोषित Award पर ब्याज की राशि Interest@10% from Per Annum from the date of filling 17.08.2015 to 16.12.2018	: ₹1,31,353.00
(3.) Court fee	: ₹ 12,771.00
कुल राशि	: ₹2,26,033.00





3. समिति की अनुशंसा :-

वादि/संवेदक द्वारा उक्त Award के भुगतान हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय, पटना में Execution Case दायर किया गया है, जिसका Execution Case No.-07/2018 है।

Tribunal द्वारा घोषित की गई Award की राशि का सत्यापन एवं उक्त राशि पर दिनांक-16.12.2018 तक सूद की राशि की गणना कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा द्वारा किया गया है, जो अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल हाजीपुर द्वारा भी हस्ताक्षरित है। तदनुसार पारित Award की कुल राशि ₹3,94,059.00 है, उस पर दिनांक-16.12.2018 तक देय सूद की राशि ₹1,31,353.00 है तथा Court fee राशि - ₹12,771.00 मात्र है। अर्थात् कुल राशि ₹2,26,033.00 मात्र है।

संवेदक/वादी द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया है, तथा उनके द्वारा भविष्य में सूद की राशि का दावा नहीं करने का शपथ पत्र में जिक्र किया गया है। संवेदक द्वारा कोर्ट फीस की राशि नहीं लेने का जिक्र किया गया है। मूल राशि का भुगतान होने पर केस (Case) उठा लेने का जिक्र शपथ पत्र में किया गया है।

तद्आलोक में समिति द्वारा संवेदक/वादी "श्री अब्दुल गफ्फार" के पारित Award की मूल राशि - ₹3,94,059.00 मात्र के भुगतान करने तथा आवंटन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को उपलब्ध कराने की अनुशंसा की जाती है। इससे विभाग में ₹1,44,124.00 मात्र की बचत होगी।

✓

✓

✓

✓


14.5.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक-4159(अनु0) दिनांक-20.12.2018 द्वारा प्राप्त Claim के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में संवेदक/वादी "श्री अब्दुल गफ्फार" को पारित Award की मूल राशि - ₹3,94,059.00 (तीन लाख चौरानवे हजार उनसठ रुपये) मात्र के भुगतान करने की कार्रवाई इस शर्त के साथ की जाय कि वादी/संवेदक द्वारा Execution Case-07/2018 को वापस ले लिया जायेगा।


4.2 समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित निर्णय के संबंध में विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त कर ली जाय।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रमेश कुमार)  
संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक  
विज्ञान सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
14.5.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/मुक-149/2015

3763(E)

पटना, दिनांक 14/5/19

**प्रतिलिपि :-** मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

